न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 25/2021 तारीख रजू 01.04.2021

1. सलीम पुत्र रहमान जाति मुसलमान निवासी मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र रामसहाय जाति गूर्जर निवासी मलारनाडूंगर
2. प्रेम देवी पत्नी अमरसिंह गूर्जर निवासी मलारनाडूंगर हाल निवासी टापरी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित – श्री आर.एस.वैष्णव एडवोकेट – प्रार्थी
श्री जी.एस.गूर्जर एडवोकेट – अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 19/7/23

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र 14 (4) राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 28.06.02 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण अमरसिंह पुत्र रामसहाय जाति गूर्जर एवं प्रेम देवी पत्नी अमरसिंह गूर्जर निवासी मलारना डूंगर हाल निवासी टापरी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को खसरा नम्बर 2795/1 रकबा 2 बीघा 1बिस्वा किस्म बंजड1 वाके ग्राम मलारना डूंगर में दिनांक 28.06.2002 को आवंटन किया गया, को निरस्त कराने हेतु यह निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्राथीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि विपक्षीगण को ग्राम मलारना डूंगर में ख0नं0 2795/1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि का किया गया आवंटन विधि विरूद्व तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह कि विपक्षीगण भूमिहीन कृषक नहीं है तथा भूमि ख0नं0 2795/1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा को की आवंटन करने से पूर्व कोई कब्जे के संबंध में उद्घोषणा जारी नहीं की गई थी। विपक्षीगण का मौके पर कब्जा नहीं था उसके कब्जे के संबंध में आवंटन से पूर्व कोई जांच नहीं की जबकि आवंटन के पूर्व से ही उक्त भूमि का प्रार्थी का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है इन तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा कर आवंटन किया है जो निरस्तनीय है। यह कि ग्राम मलारना डूंगर में स्थित भूमि ख0नं0 2795/1 रकबा

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:10:32 IST
Reason: SelfAttested

2 बीघा 1 बिस्वा में प्रार्थी का सम्वत 2046 से अब तक निरन्तर रूप से प्रार्थी का निरन्तर कब्जाकाश्त है। विपक्षीगण का उक्त भूमि पर आवंटन के उपरान्त से आज तक कभी कोई कब्जाकाश्त नहीं है। यह कि विपक्षीगण ने अधीनस्थ न्यायालय तथा पटवारी हल्का तहसीलदार से मिलकर कागजों में उक्त भूमि का आवंटन फर्जी तरीके से दिनांक 28.06.2002 को करा लिया जबकि विपक्षीगण को तहसीलदार या पटवारी हल्का ने आज तक मौके पर कब्जा नहीं दिया तथा नहीं विपक्षीगण ने उक्त भूमि को आवंटन के उपरान्त वर्ष 2002 में 1/2 भाग को काश्त की नहीं द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण भूमि काश्त की बल्कि उक्त को मौके पर सम्वत 2046 से लेकर सम्वत 2077 तक प्रार्थी का ही उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त तथा कब्जा चला आ रहा है। इस कारण उक्त आवंटन आदेश अवैधानिक होने से निरस्तनीय है क्योंकि आवंटी को आवंटन के उपरान्त उसी वर्ष 1/2 भाग को तथा द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण भूमि को आवंटन नियमों की शर्तों की पालना नहीं कि मुताबिक काश्त करना अनिवार्य है तथा विपक्षीगण ने आवंटन नियमों की पालना नहीं की इस कारण आवंटन आदेश निरस्तनीय है। यह कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का आवंटन के पूर्व से ही ख0नं0 2795/1 पर सम्वत 2046 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है जिसका काश्त का अंकन प्रार्थी के नाम खसरा परिवर्तनशील में अंकित है तथा उक्त भूमि का धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही प्रार्थी के विरूद्ध की जा रही है जिसकी प्रार्थी निरन्तर पेलेन्टी राशि जमा कराता आ रहा है। इससे यह तथ्य भलीभांति सिद्ध है कि उक्त भूमि पर आवंटन के पूर्व से लेकर अब तक प्रार्थी का ही निरन्तर कब्जा काश्त है। उक्त भूमि पर आवंटी का कभी कब्जा नहीं रहा। यह कि इस तथाकथित फर्जी आवंटन आदेश दिनांक 28.06.2002 की प्रार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी इस आवंटन आदेश की दिनांक 28.10.2020 को विपक्षीगण ने गांव में चर्चा करने तथा प्रार्थी की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर काश्त करने की धमकी दी इसके उपरान्त उक्त आवंटन आदेश की पटवारी हल्का से जानकारी की तथा आवंटन आदेश की जानकारी होने पर प्रार्थी ने नकल हेतु आवेदन पेश किया तब प्रार्थी को उक्त आंवटन आदेश की नकल प्राप्त होने पर उक्त प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय उक्त आवंटन आदेश फ्रोड तथा अवैधानिक है जिसे निरस्त कराने हेतु ऐसे आवंटन आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अन्त में वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ख0नं0 2795/1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम मलारना डूंगर का किया गया आवंटन आदेश दिनांक 28.06.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया ।

वकील अप्रार्थीगण ने बकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि हमे दिनांक 28.06.2002 को ख0नं0 2795/1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा का आवंटन हुआ था जिसका नामान्तरकरण संख्या 363 दिनांक 31.07.2002 के द्वारा हमारे नाम गैर खातेदारी स्वीकार हुई। इसके उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 882 दिनांक 03.12.2009 के द्वारा ख0नं0 2795/1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा हमारे नाम खातेदारी स्वीकार हो चुकी है तथा नामान्तरण संख्या 1413 दिनांक 19.02.2015 रहननामा से हमारा हिस्सा राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा मलारना डूंगर मुर्तहीन हुआ है। अन्त में वकील अप्रार्थीगण ने बहस में यह भी तर्क दिया कि

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:10:32 IST
Reason: SelfAttested

हम उक्त ख0नं0 2795/1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा के रिकार्डेड खातेदार है जिनकी खातेदारी निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण प्रकरण खारिज करने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि प्रार्थी से प्राप्त प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण अमरसिंह पुत्र रामसहाय जाति गूर्जर एवं प्रेम देवी पत्नी अमरसिंह गूर्जर निवासी मलारना डूंगर हाल निवासी टापरी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को खसरा नम्बर 2795/1 रकबा 2 बीघा 1बिस्वा किस्म बंजड1 वाके ग्राम मलारना डूंगर में दिनांक 28.06.2002 को आवंटन किया गया था। जिसका नामान्तरकरण संख्या 363 दिनांक 31.07.2002 के द्वारा अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी स्वीकार हुई। इसके उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 882 दिनांक 03.12.2009 के द्वारा ख0नं0 2795/1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा से गैर खातेदारी से खातेदारी स्वीकार हो चुकी है तथा नामान्तरण संख्या 1413 दिनांक 19.02.2015 रहननामा से अप्रार्थीगण का हिस्सा राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा मलारना डूंगर मुर्तहीन हुआ है। इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अप्रार्थीगण ख0नं0 2795/1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा के रिकार्डेड खातेदार है जिनकी खातेदारी निरस्त करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेन्स प्रकरण तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 19/7/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:10:32 IST
Reason: SelfAttested